Govt. of India
CENTRAL HINDI DIRECTORATE
Department of Higher Education
Ministry of Human Resource Development

Shiksha Puraskar Scheme-2019

Central Hindi Directorate, Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India confers five Awards of the value of rupees one lakh to encourage original writing in Hindi in the field of education. Applications in the prescribed proforma for the year 2019 are invited as under:-

Scope:-

Under the scheme, excellent and thought-provoking books originally written in Hindi by Hindi and non-Hindi-speaking authors in various fields of knowledge such as Education Policy, Education system, Social Sciences, Philosophy, Political Thought, Culture, Communication, Moral Science, Science and Technology, Medical Science, Political Science, Environment and other subjects related to education shall be entertained. **Creative literature, text-books, thesis and translated books shall not be considered. Manuscripts are not accepted.**

Eligibility:-

Writers from any part of India or publishers on their behalf may submit their books under the scheme. Non-resident Indians or foreign Hindi Scholars are also eligible. The Officers and employees of Central Hindi Directorate shall not be eligible. The Officers/employees of other Ministries/Offices of Central Government/State Government may apply with the prior permission of their Department.

Rules:-

(1) Books published between year 2014 to 2018 shall only be considered.
(2) The published book must contain at least 200 pages each.
(3) The writers awarded once under the scheme shall not be considered again.
(4) Manuscripts shall not be considered under the scheme.
(5) The books awarded by the Government of India/undertaking/Institutions or by State Governments or professional institutions shall not be considered.
(6) Books received under the scheme shall not be returned.
(7) It is mandatory to submit five copies of the book alongwith the application.
(8) The portion of the book displaying the name of the author and that of the publisher should be removed from three out of 5 copies of the books and must be rebounded before sending to the Directorate. The remaining 2 copies should be sent as they are.

The prescribed Application form can be downloaded from the Directorate's **website i.e.www.chdpublication.mhrd.gov.in.**

Entry must reach to the address cited below by hand or by post within 60 days from the publication of this Advertisement.

Gandhari Pangtey
Assistant Director (Awards)
Central Hindi Directorate
West Block No.-7, R.K. Puram
New Delhi-110066
Tele. 011-26105211-234/237

शिक्षा पुरस्कार योजना

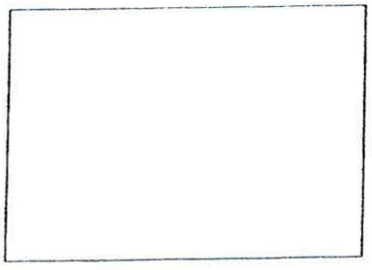

केंद्रीय हिंदी निदेशालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
नई दिल्ली-110066

भारत सरकार

केंद्रीय हिंदी निदेशालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

शिक्षा पुरस्कार योजना

हिंदी में शिक्षा विषयक मौलिक लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1992 में शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू की । इस समय इस योजना के अंतर्गत एक-एक लाख रूपए के पाँच पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाने का प्रावधान है।

विषय क्षेत्र :-

इस योजना के अंतर्गत ज्ञान के विविध क्षेत्रों यथा, शिक्षा नीति, शिक्षण पद्धति, समाज शास्त्र, दर्शन, राजनितिक चिंतन, संस्कृति, संचार माध्यम, नीति शास्त्र, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान, विधि, राजनीति विज्ञान, पर्यावरण एवं शिक्षा संबंधी अन्य विषयों पर हिंदी तथा हिंदीतर भाषी लेखकों की मूल रूप से हिंदी में लिखित उत्कृष्ट मौलिक तथा चिंतनपरक प्रकाशित पुस्तकें मान्य होंगी । **सृजनात्मक साहित्य, पाठ्य पुस्तकें, शोध प्रबंध तथा अनूदित ग्रंथ इस योजना के अंतर्गत विचारणीय नहीं होंगे ।**

पात्रता :-

भारत के किसी भी क्षेत्र के लेखक या उनकी ओर से प्रकाशक इस योजना के अंतर्गत अपनी पुस्तकें भेज सकते हैं। अप्रवासी भारतीय अथवा विदेशी हिंदी विद्वान भी इस योजना में भाग ले सकते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अधिकारी तथा कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत भाग लेने के पात्र नहीं होंगे । भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/कार्यालयों/राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारी अपने विभाग की अनुमति लेकर इस योजना में भाग ले सकते हैं ।

नियम :-

(1) योजना के अंतर्गत पिछले पॉच वर्षो में प्रकाशित पुस्तकें ही विचारणीय होंगी । उदाहरण के लिए वर्ष 2005 के पुरस्कारो के लिए पिछले पाँच वर्षों अर्थात् 2000,2001,2002,2003 तथा 2004 में प्रकाशित पुस्तकें ही विचारणीय होंगी ।

(2) प्रकाशित पुस्तकें कम से कम 200 पृष्ठों की होनी अनिवार्य हैं।

(3) इस योजना के अंतगेत एक बार पुरस्कृत लेखक पुन: विचारणीय नहीं होंगे ।

(4) इस योजना में पांडुलिपियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(5) योजना के अंतर्गत भारत सरकार अथवा इसके द्वारा पोषित उपक्रमों/संस्थानों अथवा राज्य सरकारों या व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत किसी कृति पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(6) योजना के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकें वापस नहीं की जाएगी ।

(7) विवरण - पत्र के साथ पुस्तक की पाँच प्रतियाँ भेजना अनिवार्य है।

(8) पुस्तक की पाँच प्रतियों में से तीन प्रतियों पर से लेखक और प्रकाशक के नाम वाले भाग को हटा दिया जाए तथा निदेशालय को भेजने के पूर्व उन प्रतियों की पुनः जिल्दबंदी करा दी जाए । शेष दो प्रतियाँ सामान्य रूपाकार में ही भेजी जाए । किसी भी प्रकार के अधूरे विवरण पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा । इस संबंध में लेखकों से कोई पत्राचार नही किया जाएगा ।

<u>प्रविष्टियाँ आमंत्रित करने की प्रविधि :-</u>

योजना के अंतर्गत प्रविष्टियाँ डी.ए.वी.पी. (प्रिंट मीडिया) हिंदी - अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निदेशालय की वेबसाइट के माध्यम से विज्ञापन तथा अन्य विविध स्रोतों द्वारा आमंत्रित की जाएगी । साहित्य अकादमी तथा भारतीय ज्ञानपीठ से पुरस्कृत लेखकों तथा इन संस्थाओं से भी प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाएगीं । विभिन्न राज्यों में स्थित हिंदी ग्रंथ अकादमियों, विश्वविद्यालयों तथा प्रख्यात शिक्षण संस्थाओं (आई.आई. टी., आई.आई.एम. आदि) तथा अग्रणी प्रकाशकों को अलग से पत्र भेजकर पुरस्कारों के संबंध में विस्तृत सूचना दी जाएगी ताकि योजना के अंतर्गत अधिकाधिक एवं श्रेष्ठ पुस्तकें प्राप्त हो सकें । निदेशालय द्वारा खरीदी जाने वाली पत्रिकाओं में भी विज्ञापन सूचना के रूप में छपवाया जाएगा ।

<u>चयन प्रक्रिया :-</u>

योजना के अंतर्गत पुरस्कारों पर निर्णय के लिए चयन प्रक्रिया तीन चरणों में संपन्न होगी। प्रक्रिया पारदर्शी बनाए रखने के लिए निदेशालय व्यापक संख्या में प्रत्येक क्षेत्र के विशेषज्ञों की सूची तैयार कराएगा जो चयन समिति के गठन में सहायक होगी । समिति में सदस्यों का चयन इस सूची से इतर भी किया जा सकता है ।

प्रथम चरण :-

इस चरण में पुरस्कार के लिए पुस्तकों का प्रथम दृष्ट्या आकलन किया जाएगा । आकलन का दायित्व दस सदस्यीय समिति का होगा । इसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा । समिति यदि अनुभव करती है कि पुरस्कारों के लिए श्रेष्ठ पुस्तकें प्राप्त नहीं हुई हैं तो वह अपनी ओर से अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें शामिल करने की सिफारिश कर सकती है। ऐसी अनुशंसित पुस्तकें निदेशालय द्वारा क्रय करके अगले चरण की प्रक्रिया में शामिल की जाएंगी । इस तरह प्रथम चरण में पुरस्कारों की आधार सूची तैयार हो जाएगी। जिन लेखकों की पुस्तकें लेखकों के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त होंगी उनके विवरण पत्र तथा घोषणा पत्र बाद में निदेशालय पत्राचार से प्राप्त करेगा ।

द्वितीय चरण :-

द्वितीय चरण में प्रथम चरण की समिति द्वारा चयनित समस्त पुस्तकों को विषयवार वर्गीकृत करके संबंधित विषयों के तीन - तीन विद्वानों के पास लिखित मूल्यांकन के लिए भेजा जाएगा। पुस्तकों के साथ मूल्यांकन पत्रक भेजा जाएगा । ये विशेषज्ञ पुस्तक की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उसकी गुणवत्ता के आधार पर 100 अंको में से अंक प्रदान करेंगे । तीनों विशेषज्ञों द्वारा प्रदत्त अंको के योगफल से पुस्तकों की गुणवत्ता का क्रम मान्य होगा ।

तृतीय चरण :-

पुरस्कारों का अंतिम निर्णय तीसरे चरण के लिए गठित पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। यह समिति द्वितीय चरण के विशेषज्ञों द्वारा प्रदत्त अंको के आधार पर पाँच पुरस्कारों के लिए अंतिम रूप से पुस्तकों का चयन करेगी ।

विशेष :- उक्त तीनों समितियों में सदस्यों की पुनरावृति नहीं होगी ।

परिणामों की घोषणा :-

योजना के अंतर्गत पुरस्कृत कृतियों तथा उनके लेखकों के नामों की अधिसूचना हिंदी/अंग्रेजी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं के अग्रणी समाचार -पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। पुरस्कृत लेखकों को व्यक्तिगत रूप से अलग से भी सूचना दी जाएगी ।

अंतिम तिथि :-

योजना के अंतर्गत प्रविष्टियॉ पुस्तक की पाँच प्रतियों सहित निर्धारित आवेदन -पत्र तथा घोषणा पत्र के साथ प्रतिवर्ष दिनांक ---------- तक निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के पास भेजी जा सकती है ।

टिप्पणी :- आवेदन पत्र तथा घोषणा पत्र का प्रारूप क्रमश: परिशिष्ट -I तथा II पर उपलब्ध है।

भारत सरकार
केंद्रीय हिंदी निदेशालय
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

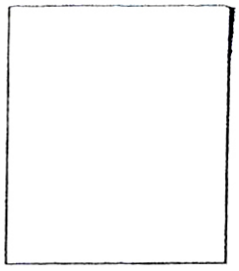

शिक्षा पुरस्कार योजना

विवरण - पत्र

नोट :- हिंदी/अंग्रेजी में भरा जाए

1. पुस्तक का नाम ----------
2. (क) क्या पहले कभी इस पुस्तक पर कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है ? यदि हॉ, तो कब और किसके द्वारा ? ----------
   (ख) पुस्तक के प्रथम संस्करण का प्रकाशन वर्ष तथा प्रकाशक ----------
3. लेखक का पूरा नाम (हिंदी में) ----------
4. लेखक का पूरा नाम (अग्रेंजी के बड़े अक्षरों में) ----------
5. पिता/पति का नाम ----------
6. जन्म तिथि ----------
7. पत्र व्यवहार का पता ग्राम/जनपद/प्रदेश सहित ----------
   (i) ई-मेल पता ----------
   (ii) फोन नं. ----------
   (iii) मोबाइल ----------

   ----
8. क्या आप अनुसूचित जाति/जनजाति से हैं ? ----------
   (प्रमाण - पत्र संलग्न करें) ----------
9. लेखक की मातृ भाषा ----------
10. लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय ----------
    (पासपोर्ट साइज के दो नवीनतम चित्र संल्ग्न करें)

हस्ताक्षर----------

शिक्षा पुरस्कार

घोषणा पत्र

मैं ----------

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ----------

निवासी ----------एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ

कि :-

(क) मैं ---------- राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का निवासी हूँ ।

(ख) मेरा जन्म राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में स्थित ----------हुआ है ।

(ग) मेरी मातृ भाषा ---------- है ।

(घ्) उक्त योजना में प्रस्तुत मेरी कृति इससे पूर्व किसी राज्य सरकार, केंद्र सरकार अथवा उसके द्वारा पोषित उपक्रमो/संस्थानों अथवा किसी व्यावसायिक संस्था/संगठन द्वारा पुरस्कृत नही हुई हैं।

(ड.) शिक्षा पुरस्कार योजना के अंतर्गत मुझे इससे पूर्व मेरी पुस्तक ---------- पर सन् ---------- में पुरस्कृत किया जा चुका है।

(च) मैं केंद्रीय/राज्य सरकार के ---------- विभाग का कर्मचारी हूँ और अपने विभाग के संबंधित अधिकारी से इस योजना में भाग लेने की लिखित अनुमति मुझे प्राप्त है। (सत्यापित प्रति संलग्न) ।

मैं सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार पूर्ण रूप से सत्य है।

हस्ताक्षर ----------

स्थान ----------

दिनांक ----------